

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

29 AUG 2017

क्रमांक-प. 4(1)कार्मिक/क-2/2006 पार्ट

जयपुर, दिनांक :


1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र


विषय-विभिन्न विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की नियमित डी.पी.सी. आयोजित किए जाने के संबंध में।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति एवं राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के मध्य हुए समझौता दिनांक 27.08.2017 के क्रम में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों को व्यादिष्ट किया जाता है कि सभी विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति हेतु, नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर, शीघ्र कार्यवाही करावें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।


शासन सचिव

प्रतिलिपि -संयुक्त सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।


29/8/2017
संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

41/2017